भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3708

उत्तर देने की तारीख 16.03.2026

कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत कलाकारों को प्रोत्साहन

3708. श्री दिनेशभाई मकवाणा :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री आलोक शर्मा :

श्री अनन्त नायक :

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

श्री पी. पी. चौधरी :

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :

श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

डॉ. राजेश मिश्रा :

श्रीमती कमलेश जांगड़े :

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

श्रीमती संजना जाटव :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री अभिमन्यु सेठी :

श्री नव चरण माझी :

श्री महेश कश्यप :

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :

श्री हरीभाई पटेल :

श्री बिभु प्रसाद तराई :

श्री दिलीप शइकीया :

श्री मनोज तिवारी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में विगत तीन वर्षों के दौरान कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत सहायता प्राप्त कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और घटकवार विशेषकर क्योंझर पाली तथा भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन अनुदान, रंगमंच समूहों को आवर्ती अनुदान, युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति, वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्ति और गुरू-शिष्य मार्गदर्शन सहायता के अंतर्गत वित्तीय आवंटन और उपयोग का वर्षवार तथा राजस्थान और क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड और देश में, विशेषकर अनुसूचित जनजाति-बहुल बस्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करने और विशेषकर क्योंझर जैसे आकांक्षी और जनजातीय जिलों से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का देश, विशेषकर बस्तर क्षेत्र और क्योंझर में कलाकारों की आजीविका को सुदृढ़ करने और विविध प्रकार की स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इन घटकों जिसके अन्तर्गत उक्त घटकों में पारम्परिक और जनजातीय कला रूप भी है, के अन्तर्गत निधि में वृद्धि करने या कवरेज बढ़ाने का या कलाकारों के लिए नई आजीविका और बाजार संपर्क तंत्र शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कलाकारों को कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के विभिन्न घटकों के तहत सहायता प्राप्त कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों सहित लाभार्थियों की संख्या का घटक-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केएसवीवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के कारण, इसमें निर्वाचन क्षेत्र-वार/क्षेत्र-वार निधि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग): पात्र लाभार्थियों जैसे कि, सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों/प्रस्तावों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ/मूल्यांकन समिति द्वारा की जाती है। यह समिति स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/कार्यकलापों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर उचित रूप से विचार करने के बाद प्रत्येक प्रस्ताव/आवेदन की योग्यता के आधार पर अपनी सिफारिशें देती है।

(घ) और (ङ): सरकार समय-समय पर नीति की समीक्षा करती है, तथापि वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र-वार निधि आवंटन का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, क्योंकि कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है।

अनुलग्नक

'कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत कलाकारों को प्रोत्साहन' के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3708 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24*		2024-25*	
		संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	6	16.42	16	40.38	12	35.07
2	असम	37	214.5	54	277.54	23	263.25
3	बिहार	64	363.8	158	697.37	50	347.56
4	चंडीगढ़	5	49.2	10	69.96	7	91.65
5	छत्तीसगढ़	0	0	9	33.52	2	13.12
6	दिल्ली	98	793.3	161	1065.1	87	823.77
7	गुजरात	4	27.84	13	71.42	11	48.28
8	हरियाणा	24	93.06	23	124.2	15	138.16
9	हिमाचल प्रदेश	4	51.12	5	55.28	6	90.95
10	जम्मू और कश्मीर	15	120.8	37	118.2	27	215.66
11	झारखंड	13	69.18	18	100.64	13	47.65
12	कर्नाटक	113	807.4	201	1009.9	96	738.67
13	केरल	37	264.4	38	318.06	19	169.71
14	मध्य प्रदेश	73	525.4	106	687.19	69	654.78
15	महाराष्ट्र	41	307.6	97	639.72	59	333.05
16	मणिपुर	147	900.7	173	973.68	119	816.68
17	मिजोरम	4	26.64	2	10.9	2	10.88
18	नागालैंड	2	8.88	1	6.96	4	12.93
19	ओडिशा	55	289.2	115	515.29	67	343.87
20	पुदुचेरी	5	50.04	3	32.52	5	65.76
21	पंजाब	6	43.56	10	66.68	8	56.06
22	राजस्थान	17	95.2	32	123.52	16	140.66
23	सिक्किम	1	2.64	3	7.02	0	0
24	तमिलनाडु	19	108.6	22	143.02	14	90.15

25	तेलंगाना	17	153.0	19	109.52	17	131.72
26	त्रिपुरा	1	6.24	14	57.12	3	14.46
27	उत्तराखंड	16	80.86	17	65.96	12	76.03
28	उत्तर प्रदेश	57	293.9	107	438.32	70	502.02
29	पश्चिम बंगाल	333	2060.8	418	2288.4	208	1432.2
	कुल	**1214**	**7824.7**	**1882**	**10147.6**	**1041**	**7704.7**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

आरके मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24*		2024-25*	
		संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	1	22.50	1	7.50	0	0.00
2	असम	0	0.00	1	22.50	2	22.50
3	चंडीगढ़	0	0.00	1	15.00	1	22.50
4	दिल्ली	7	241.25	11	276.25	8	103.75
5	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	1	26.25
6	झारखंड	0	0	0	0	1	15.00
7	कर्नाटक	1	22.50	0	0.00	1	4.73
8	केरल	0	0.00	1	18.75	2	32.50
9	महाराष्ट्र	0	0.00	1	15.00	1	18.75
10	मध्य प्रदेश	1	0.59	0	0.00	0	0.00
11	मणिपुर	0	0	0	0	1	11.25
12	ओडिशा	0	0.00	1	8.75	2	37.50
13	पुदुचेरी	1	3.75	0	0.00	0	0.00
14	राजस्थान	1	37.50	1	26.25	2	27.50
15	तमिलनाडु	0	0	0	0	1	15.00
16	उत्तर प्रदेश	2	93.75	1	22.50	1	7.50
17	पश्चिम बंगाल (एनपी)	0	0.00	2	37.50	3	31.25
18	आरके मिशन, पश्चिम बंगाल	1	738.56	1	766.50	1	807.00
	कुल	**15**	**1160.4**	**22**	**1216.5**	**28**	**1182.98**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24*		2024-25*	
		संगठनों की सं.	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	65	62.85	83	80.7	49	75.79
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	48	96.21	68	114.11	27	36.59
4	बिहार	123	203.2	126	161	73	122.21
5	चंडीगढ़	1	0.5	3	21.69	1	10
6	छत्तीसगढ़	3	5.5	4	7.5	3	6.42
7	दिल्ली	167	408.06	204	370.03	106	262.97
8	गोवा	1	0.625	1	1.5	2	2.12
9	गुजरात	17	23.4	16	12.34	3	3.59
10	हरियाणा	28	62.59	36	74.72	29	89.98
11	हिमाचल प्रदेश	8	11	15	25.75	11	12.92
12	जम्मू और कश्मीर	52	50.33	49	33.76	30	36.37
13	झारखंड	11	14.26	7	8	10	12.75
14	कर्नाटक	218	349.4	221	208.22	235	494.09
15	केरल	30	48.38	30	40.27	21	65.13
16	मध्य प्रदेश	141	264.9	161	155.17	100	202.89
17	महाराष्ट्र	56	104.1	34	29.64	44	97.31
18	मणिपुर	162	196.1	237	249.25	140	164.8
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	5	4.62	4	1.35	2	1
21	ओडिशा	180	296.8	168	269.71	179	482.88
22	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	12	23.27	11	22.65	9	22
24	राजस्थान	48	81.16	57	46.28	40	61.55
25	सिक्किम	0	0	1	3.75	3	7
26	तमिलनाडु	15	18.87	11	10.73	16	35.35
27	तेलंगाना	16	16.87	16	9.61	25	51.13
28	त्रिपुरा	16	16.15	23	24.94	10	7.87
29	उत्तराखंड	24	28.11	31	21.91	22	30
30	उत्तर प्रदेश	278	343.3	268	244.07	218	395.66
31	पश्चिम बंगाल	410	544.4	357	206.86	302	435.61
	कुल	**2135**	**3275.21**	**2242**	**2455.51**	**1710**	**3225.98**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-2023**		**2023-24***		**2024-25***	
		संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	41	117.95	48	93.00	16	33.51
2	सिक्किम	4	10.00	4	16.00	1	5.00
3	हिमाचल प्रदेश	42	98.52	51	126.28	3	8.49
4	जम्मू और कश्मीर	69	117.02	29	47.52	10	16.25
5	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	11	34.00	2	5.50	0	0
6	उत्तराखंड	58	91.24	63	81.75	14	18.25
7	दिल्ली	0	0	0	0	2	3.25
8	उत्तर प्रदेश	0	0	2	2.50	2	1.00
	कुल	**225**	**468.73**	**199**	**372.55**	**48**	**85.75**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24*		2024-25*	
		संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	57	518.19	50	392.31	60	416.33
2	आंध्र प्रदेश	2	8	10	9.18	4	9.00
3	असम	9	30	15	72.00	6	24.36
4	बिहार	2	8.5	2	8.50	2	10.48
5	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	7	49.5	4	40.00	15	120.16
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6	44.47	2	9.45	7	44.27
7	हिमाचल प्रदेश	78	550.97	31	167.63	49	317.38
8	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	6	23.5	4	20.00	5	33.50
9	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	45	319.62	44	246.42	6	26.94
10	कर्नाटक	33	272.8	11	62.78	49	333.82
11	केरल	1	13.5	0	0	0	0
12	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	5	29	4	30.00	1	5.00
14	महाराष्ट्र	11	38.25	14	41.00	14	57.45
15	मणिपुर	2	5.5	3	9.50	1	3.00
16	ओडिशा	1	5	2	12.00	2	11.00
17	पंजाब	2	8.5	2	10.00		
18	सिक्किम	0	0	12	89.93	5	39.99
19	त्रिपुरा	7	37.5	7	41.5	17	97.20
20	तमिलनाडु	0	0	2	10.00	0	0
21	तेलंगाना	2	22.5	3	30.00	0	0
22	उत्तराखंड	26	252.42	5	35.50	38	354.97
23	उत्तर प्रदेश	27	195.28	11	44.15	34	236.27
24	पश्चिम बंगाल	72	168.00	92	175.51	70	82.75
	कुल	**401**	**2601**	**330**	**1557.36**	**385**	**2223.87**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24*		2024-25*	
		संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2	असम	1	5.4	0	0	0	0
3	बिहार	1	0.6	1	6	0	0
4	छत्तीसगढ़	1	7.5	0	0	0	0
5	दिल्ली	0	0	2	11.2	3	23.25
6	हिमाचल प्रदेश	1	12.79	1	6	2	20
7	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	2	10
8	कर्नाटक	3	26.4	1	25	0	0
9	केरल	1	1.4	0	0	0	0
10	मध्य प्रदेश	1	3	0	0	4	16.86
11	महाराष्ट्र	0	0	2	8	2	25
12	मणिपुर	4	15.98	6	35.23	2	3.88
13	मेघालय	0	0	0	0	1	4.5
14	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
15	ओडिशा	0	0	0	0	2	21.5
16	पंजाब	0	0	1	2	1	0.9
17	राजस्थान	1	7.5	0	0	0	0
18	तेलंगाना	1	4.29	0	0	0	0
19	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
20	पश्चिम बंगाल	5	34.61	1	15	4	24.2
	कुल	**20**	**119.47**	**15**	**108.43**	**23**	**150.09**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलाप हेतु वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-2025	
		संगठनों/राज्य सरकारों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	उत्तर प्रदेश	2	120

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023*		2023-2024*		2024-2025*	
		संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)
1.	दिल्ली	0	0	0	0	1	300
2.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	0	0	2	1131.52	0	0
4.	मेघालय	1	500	0	0	0	0
5.	राजस्थान	0	0	1	54.91	0	0
6.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
7.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	369.57	0	0
कुल		**1**	**500.00**	**4**	**1556**	**1**	**300**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, संबंधित सीएनए को 369.57 लाख रुपए की राशि जारी की गई। 369.57 लाख रुपए की कुल जारी की गई राशि में से 337.11 लाख रुपए की धनराशि 01 संगठन को अधिकृत की गई है।

संस्कृति के क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24		2024-25	
		अध्येताओं की संख्या	संवितरित राशि	अध्येताओं की संख्या	संवितरित राशि	अध्येताओं की संख्या	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	12	17.40	12	11.40	08	14.40
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	02	1.20	02	1.20
3	असम	50	58.80	70	69.60	70	84.00
4	बिहार	31	48.00	47	44.40	35	43.80
5	चंडीगढ़	03	3.60	-	-	01	2.40
6	छत्तीसगढ़	08	11.40	12	12.00	12	12.60
7	दिल्ली	116	178.20	101	100.80	77	100.20
8	गोवा	01	2.40	-	-	-	-
9	गुजरात	18	27.00	23	21.60	14	19.20
10	हरियाणा	27	40.20	27	30.00	23	33.00
11	हिमाचल प्रदेश	07	7.20	04	3.00	04	5.40
12	जम्मू और कश्मीर	14	19.80	13	10.20	13	11.40
13	झारखंड	15	17.40	24	30.60	15	24.00
14	कर्नाटक	43	61.20	57	64.80	33	48.60
15	केरल	62	85.20	60	54.00	54	73.80
16	मध्य प्रदेश	62	93.00	82	76.20	59	70.20
17	महाराष्ट्र	84	118.80	85	84.00	52	78.60
18	मणिपुर	33	37.20	62	60.00	64	70.20
19	मेघालय	2	1.20	-	-	01	1.20
20	नागालैंड	02	1.80	03	3.00	03	3.60
21	ओडिशा	89	129.60	90	93.60	83	105.60
22	पुदुचेरी	04	7.20	02	1.80	02	3.00
23	पंजाब	06	7.20	11	10.20	06	9.00
24	राजस्थान	27	39.60	34	33.00	28	33.00
25	तमिलनाडु	19	24.60	15	15.00	15	23.40
26	तेलंगाना	22	27.00	28	28.80	21	24.60
27	त्रिपुरा	03	3.60	06	7.80	05	6.60
28	उत्तराखंड	13	21.00	13	12.60	10	13.20
29	उत्तर प्रदेश	120	154.80	158	146.40	116	157.20
30	पश्चिम बंगाल	87	118.20	100	93.00	102	116.40
कुल		**980**	**1362.6**	**1141**	**1119.00**	**928**	**1189.8**

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कलाकारों को अध्येतावृत्ति की स्कीम (एसवाईए)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24		2024-25	
		विद्वानों की संख्या	मात्रा (रु.)	विद्वानों की संख्या	मात्रा (रु.)	विद्वानों की संख्या	मात्रा (रु.)
1	अंडमान और निकोबार	-	-	03	0.90	-	-
2	आंध्र प्रदेश	03	0.90	09	2.70	06	1.80
3	अरुणाचल प्रदेश	01	0.30	05	1.50	03	0.90
4	असम	28	8.40	89	26.70	58	17.40
5	बिहार	16	4.80	63	18.90	43	12.90
6	चंडीगढ़	03	0.90	09	2.70	07	2.10
7	छत्तीसगढ़	10	3.00	50	15.00	38	11.70
8	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21	6.30	73	21.90	53	16.20
9	गोवा	02	0.60	06	1.80	04	1.20
10	गुजरात	05	1.50	23	6.90	19	5.70
11	हरियाणा	05	1.50	25	7.50	18	5.40
12	हिमाचल प्रदेश	-	-	04	1.20	03	0.90
13	जम्मू और कश्मीर	01	0.30	09	2.70	08	2.40
14	झारखंड	08	2.40	24	7.20	17	5.10
15	कर्नाटक	30	9.00	97	29.10	63	18.90
16	केरल	20	6.00	71	21.30	48	14.40
17	मध्य प्रदेश	27	8.10	131	39.30	104	31.80
18	महाराष्ट्र	40	12.00	127	38.10	81	24.30
19	मणिपुर	08	2.40	39	11.70	29	8.70
20	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
21	ओडिशा	25	7.50	97	29.10	71	21.60
22	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
23	पंजाब	04	1.20	11	3.30	05	1.50
24	राजस्थान	10	3.00	37	11.10	25	7.50
25	सिक्किम	01	0.30	03	0.90	02	0.60
26	तमिलनाडु	18	5.40	51	15.30	32	9.90
27	तेलंगाना	03	0.90	13	3.90	08	2.40
28	त्रिपुरा	02	0.60	10	3.00	06	1.80
29	उत्तराखंड	03	0.90	16	4.80	10	3.00
30	उत्तर प्रदेश	35	10.50	134	40.20	97	29.70
31	पश्चिम बंगाल	67	20.10	278	83.70	219	65.70
कुल		**396**	**118.80**	**1507**	**452.40**	**1077**	**325.5**

सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25	
		विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	02	13.50	01	3.00
2	चंडीगढ़	-	-	01	3.00
3	दिल्ली	-	-	03	12.60
4	महाराष्ट्र	01	3.60	10	67.11
5	तमिलनाडु	-	-	01	3.00
6	तेलंगाना	03	18.00	03	16.80
	कुल	**06**	**35.10**	**19**	**105.51**

सेवा भोज योजना

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	पंजाब	03	143	02	146	03	145.55

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-24*		2024-25*	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	148	84.66	191	153.30	177	115.9
2	असम	1	1.57	3	2.41	2	0.9
3	बिहार	-	-	14	15.47	7	4.62
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	8	5.87	10	4.92
5	हरियाणा	2	0.56	4	3.69	4	1.94
6	गोवा	-	-	-	-	41	7.12
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	1	0.3
8	झारखंड	7	3.59	4	3.88	3	2.76
9	कर्नाटक	130	64.32	344	341.98	397	354.67
10	केरल	51	25.3	67	64.21	80	85.82
11	मध्य प्रदेश	6	3.86	7	6.95	13	14.95
12	महाराष्ट्र	740	273.49	1239	795.97	1392	541.19
13	मणिपुर	5	0.6	13	14.7	14	14.94
14	नागालैंड	1	0.12	2	3.28	2	1.08
15	ओडिशा	966	306.77	1460	1063.4	1995	1106.51
16	पंजाब	-	-	-	-	1	0.30
17	राजस्थान	2	0.71	2	1.36	2	2.52
18	तमिलनाडु	21	14.6	41	46.96	34	36.61
19	तेलंगाना	489	268.16	293	274.94	309	207.07
20	त्रिपुरा	1	0.12	-	-	0	0
21	उत्तर प्रदेश	58	15.46	82	67.24	109	80.46
22	उत्तराखंड	-	-	2	2.43	4	4.83
23	पश्चिम बंगाल	27	11.71	35	28.53	39	20.37
	कुल	**2655**	**1075.6**	**3811**	**2896.57**	**4636**	**2609.78**
	एलआईसी	996	783.58				
	कुल योग	**3651**	**1859.18**	**3811**	**2896.57**		

* 2023-24 से, एलआईसी के माध्यम से वित्तीय सहायता का वितरण बंद कर दिया गया है और इसे सीधे संस्कृति मंत्रालय केनरा बैंक (स्कीम हेतु संवितरण एजेंसी) के माध्यम से जारी किया जा रहा है।
